



خواجہ معین الدین چشتی لیگوتیج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)  
 ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)  
 Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY  
 (Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

R.NO. 3087/KMCLP/REG/2020

DATED: 14-12-2020

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की  
 आकस्मिक बैठक दिनांक 14-12-2020 को मध्यान्ह 12:00 बजे का कार्यवृत्त।

| उपस्थिति |                                                           |              |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| क्रम     | अधिकारियों/शिक्षकों का नाम                                | पदनाम        |
| 1.       | प्रो० मसऊद आलम, मा० कुलपति/मा० अध्यक्ष                    | मा० अध्यक्ष  |
| 2.       | प्रो० सैयद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग। | सदस्य        |
| 3.       | प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।          | सदस्य        |
| 4.       | डॉ० तनवीर खदीजा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग।            | सदस्य        |
| 5.       | डॉ० सौबान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू विभाग।             | सदस्य        |
| 6.       | डॉ० मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग।        | सदस्य        |
| 7.       | डॉ० मजहर खालिक, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग।      | सदस्य        |
| 8.       | डॉ० नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग।              | सदस्य        |
| 9.       | श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव/सदस्य सचिव               | कुलसचिव/सचिव |

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के माननीय अध्यक्ष/माननीय कुलपति व सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 14-12-2020 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

## कार्यवाही

### बिन्दु संख्या-क

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19-09-2020 के बिन्दु संख्या-12.1 के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय आउटसोर्सिंग कर्मियों के भुगतान के सम्बन्ध में समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारीगण द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 17-09-2020 के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय पर कार्यवाही।

### निर्णय

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.09.2020 के बिन्दु संख्या-12.1 के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों के हित के दृष्टिगत एवं वित्त अधिकारी के पत्र संख्या-502/भाविवि/विअका/2020/A/c-54 दिनांक 26.10.2020 को संज्ञान में लिया गया एवं समस्त कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी मै० लायलटके मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा० लि० से वेतन आहरित कराने का निर्णय लेते हुए बिन्दु संख्या-12.1 सर्वसम्मति से अनानुमोदित किया गया।

*[Signature]*

Masood Alam  
 14/12/2020



خواجہ معین الدین چشتی لینگوتج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)  
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)  
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)  
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY  
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

**बिन्दु संख्या-ख**

विश्वविद्यालय में वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को एक सत्र में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता था, जिसको तत्कालीन कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 16-05-2014 द्वारा 12 दिन का अवकाश दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, उपरोक्त आदेश दिनांक-16-05-2014 को यथावत् बनाये रखते हुये 12 दिन का अवकाश दिये जाने पर विचार।

**निर्णय-**

माननीय कार्यपरिषद् द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर विचार न करते हुये विश्वविद्यालय में वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्था को ही यथावत् रखा जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं कार्यपरिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अशोक कुमार अरविन्द)

कुलसचिव/सचिव, कार्यपरिषद्।

Registrar  
Khwaja Moinuddin Chishti  
Language University, Lucknow

Masood Alam

14/12/2020

(प्रो० मसऊद आलम)

मा० कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद्